


उम्मेद / जमील - 78/2025

दिनांक	आज्ञा पत्र	
9.7.25	<p>पत्रावली पेश वकील अमीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलांट में रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है, निर्णय तुरंत इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तगतीन तकमील दायित्व इफ्तार हो।</p> <p></p> <p><b>अनिल कुमार II RAS</b> भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्डुनु)</p>	